# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

**पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 92/2021** **दायर दिनांकः 21/06/2021**

**उनवान**

1. बाल मुकुन्द आयु 80 वर्ष पुत्र रामकल्याण जाति धाकड निवसी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. भगवानलाल आयु 50 वर्ष पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी मोठपुर
2. भवानीशंकर आयु 75 वर्ष पुत्र गोरीलाल जाति धाकड निवासी मोठपुर
3. शिवदयाल आयु 75 वर्ष पुत्र गोरीलाल जाति धाकड निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. रूकमणीबाई आयु 60 वर्ष पुत्री गोरीलाल पत्नि गोरधनलाल जाति धाकड निवासी मोठपुर हाल कोहनी तहसील छीपाबडोद जिला बारां राज0।
5. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडोदा शाखा अटरू
6. शाख प्रबंधक बडोदा क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर0टी0एक्ट0**
**एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0**

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक यशधुमन सिंह

## निर्णय

**दिनांक 23/06/2022**

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 92ए आर.टी. एक्ट. एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल मोठपुर की पुराना खाता संख्या 39 के ख0न0 1511 सिंगाडा का रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा आराजी कल्याणसिंह, नाथूसिंह, भवानीसिंह पुत्र धूपसिंह जाति राजपूत निवासी मोठपुर के कब्जा काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही थी। उक्त

आराजी में से दिनांक 20.05.1971 को पूरब दिशा की 12 बीघा आराजी वादी को जर्ये रजिस्टर्ड बेचान कर दी थी। जिसके बाद इन्तकाल नये ख0नं0 1511/1967 रकबा 12 बीघा बनाकर वादी के खाते दर्ज कर दिया था। विक्रय पत्र के अनुसार ही कब्जा वादी को 12 बीघा सम्भला दिय था तभी से वादी कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी संवत 2028 से 2031 व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। उक्त ख0नं0 1511 सिंगाडा का रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा आराजी वादी को पूरब दिशा की 12 बीघा बैचान के बाद शेष आराजी 13 बीघा 15 बिस्वा आराजी प्रतिवादीगण के पिता गोरीलाल पुत्र श्यामलाल व गोपाल पुत्र रतनलाल जाति धाकड निवासी मोठपुर को पश्चिम दिशा की जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी थी। उसी अनुसार पश्चिम दिशा पर जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बाद प्रतिवादीगण के पिता के जीवनकाल तक उन्होने कब्जा काश्त किया तथा उनकी मृत्यु के बाद से प्रतिवादीगण कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। बाद सेटलमेन्ट पुराने ख0नं0 1511 मिन रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा के नये ख0नं0 705 रकबा 2.23 है0 बनाये है जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के खाते दर्ज है। तथा पुराने ख0नं0 1511/1967 मिन रकबा 12 बीघा के नये ख0नं0 706 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 707 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 708 रकबा 1.62 है0 किता 3 रकबा 1.94 है0 बनाये है जो वर्तमान में वादी के खाते दर्ज है। नकल मिलान क्षैत्रफल व नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं । जो काबिल गोर है। वादी ने अपनी खरीदशुदा आराजी को विक्रय पत्र के अनुसार ही पूरब दिशा की आराजी पर कृषि विकास कार्य करवा रखा है तथा भूमि सुधार करवा रखा है व मेडबन्धी करवा रखी है व एक ट्यूबवेल लगवा रखा है तथा प्रतिवादीगण ने भी पश्चिम दिशा की आराजी पर पत्थर का कोट करवा रखा है। प्रतिवादी का ख0नं0 705 रकबा 2.23 है0 में से 1.92 है0 आराजी पर वादी कब्जा काश्त है तथा वादी के खाते की आराजी ख0नं0 706 रकबा 0.01 हे0, ख0नं0 707 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 708 रकबा 1.62 है0 किता 3 रकबा 1.94 है0 व 705 रकबा 2.23 है0 में से शेष आराजी 0.31 है0 प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है। लेकिन सेटलमेनट विभाग के कर्मचारियों द्वारा गफलत एवं लापरवाही पूर्वक तरीके से राजसव नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर वादी के कब्जे काश्त की आराजी को प्रतिवादीगण के खाते दर्ज कर दिया तथा प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी को वादी के खाते दर्ज कर दिया। जिसका इन्द्राज दुरूस्त करवाने का वादी कानूनी रूप से अधिकारी है। अस्तु यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश है। बिना सहायता न्यायालय सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा

किये गये गफलत एवं लापरवाही पूर्वक किये गये नक्शा ट्रेस मे गलत तरमीम को दुरूस्त करवाया जाना संभव नहीं है यदि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे शुदा आराजी पर से वादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त कर लिया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। जिसकी पूर्ति अन्य प्रकार से होना संभव नहीं है। अस्तु वादी राजस्व नक्शा ट्रेस में पुराने ख.नं0 1511 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा में से 12 बीघा खरीदशुदा के नये ख0नं0 705 रकबा 2.23 है0 में से 1.92 है0 पूरब दिशा को अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को जर्ये आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है किवे वादी के कब्जे काश्त की आराजी को रहन बेचान खुद बुर्द नहीं करे और न ही वादी को बेदखल कर कब्जा करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। वादी को शान्ती पूर्वक कब्जा काश्त करने देवे। प्रतिवादीगण के सहखातेदारान गुलाबाई, भूलीबाई, ललताबाई ने अपने हिस्से का हकत्याग अपने पुत्र व भाई प्रतिवादी क्रम 1 भगवानलाल के पक्ष में पंजीयन कार्यालय में पंजीयन कर दिया है जिसका नामान्तकरण संख्या 2123 दिनांक 01.06.2021 प्रकियाधीन है। इसलिए उक्त सहखातेदार को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 5 के यहां अपने खाते की आराजी पर रहन रख कर ऋण प्राप्त कर रखा तथा प्रतिवादी क्रम 2, 3 व 4 ने प्रतिवादी क्रम 6 से ऋण प्राप्त कर रखा है इसलिए उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान सरकार प्रतिवादी क्रम 7 भूमि धारक होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिसको धारा 80 सी0पी0सी0 का मियादी 2 माह का रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित कर दिया है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से वाद धारा 80(2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है। वाद कारण प्रथम बार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी के खरीदशुदा पूरब दिशा को प्रतिवादीगण के खाते दर्ज करने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दिनांक 15.05.2021 को देने पर व अन्तिम बार रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र मे उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य है। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद पत्र की द्वितीय प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। अतः वादी वाद

प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा सादिर फरमाई जावे किः–

(अ) राजस्व नक्शा ट्रेस में पुराने ख0नं0 1511 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा में से 12 बीघा खरीदशुदा के नये ख0नं0 705 रकबा 2.23 है0 में से 1.92 है0 पूरब दिशा को वादी के खाते दर्ज करने ख0नं0 706 रकबा 0.01 है90, ख0नं0 707 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 708 रकबा 1.62 है0 किता 3 रकबा 1.94 है0 व 705 रकबा 2.23 है0 मे से शेष आराजी 0.31 है0 पश्चिम दिशा पर प्रतिवादीगण को खाते दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 7 को प्रदान किया जावे।

(ब) यह कि प्रतिवादीगण को जर्ये आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त की आराजी को रहन बेचान, खुद बुर्द नहीं करे और न ही वादी को बेदखल कर कब्जा करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। वादी को शान्ती पूर्वक कब्जा काश्त करने देवे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया और निर्धारित तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 2 लगा 6 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 7 तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2021/1413 दिनांक 05.08.2021 को जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र में वर्णित क्र.सं. 1 में अंकित कथन के जवाब में मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट सेटलमेंट जमाबन्दी संवत 2027–30 के अनुसार ग्राम मोठपुर की आराजी ख0नं0 1511 रकबा 25 बीघा 15 बीस्वा भूमि कल्याण सिंह, नाथू सिंह पुत्र धूल सिंह कोम राजपूत के नाम खाते दर्ज था। दिनांक 20.05.1971 को खातेदारों द्वारा ख0नं0 1511 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा में से 12 बीघा भूमि दिशा पूर्व की तरफ का बेचान क्रेता बालमुकुन्द व नाबा0 सूरजमल पुत्रान रामकल्याण जाति धाकड निवासी मोठपुर को कर दिया जिसका नामा नं0 473

दर्ज हुआ। जिसमें क्रेता को नये ख0नं0 1511/1967 दिये गये। नकल जमाबन्दी व नामा0 नकल संलग्न है। मद संख्या 2 में अंकित कथन के जवाब में मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मोठपुर के आराजी ख0नं0 1511 की शेष बची भूमि 13 बीघा 15 बिस्वा भूमि का बेचान खातेदारों द्वारा अन्य खातेदारान को बेचान कर दी गई। मद कि संख्या 3 अंकित कथन के जवाब में मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट सेटलमेंट के बाद मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ख0नं0 1511 के नये ख0नं0 705 रकबा व ख0नं0 2.23 है0 व ख0नं0 1511/1967 के नये ख0नं0 706 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 707 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 708 रकबा 1.62 है0 किता 3 रकबा 1.97 है0 दर्ज हुआ। मद संख्या 4 में अंकित कथन के जवाब में मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी संवत 2073–76 के अनुसार ग्राम मोठपुर की आराजी ख0नं0 705 रकबा 2.23 है0 भूमि भगवानलाल पुत्र गोपाल, भवानीशंकर पुत्र गोरीलाल वगैरह जाति धाकड निवासी मोठपुर के नाम दर्ज है। जिसकी नकल जमाबन्दी संलग्न है। किन्तु मौके पर ख0नं0 705 रकबा 2.23 है0 भूमि पर बालमुकुन्द पुत्र रामकल्याण जाति धाकड निवासी मोठपुर का कब्जा काश्त है। तथा ख0नं0 706 रकबा 0.01, ख0नं0 707 रकबा 0.31, ख0नं0 708 रकबा 1.62 किता 3 रकबा 1.94 है0 भूमि वर्तमान जमाबन्दी संवत 2073–76 बालमुकुन्द पुत्र रामकल्याण जाति धाकड निवासी मोठपुर के नाम खाते दर्ज है। किन्तु मौके पर उपरोक्त ख0नं0 किता 3 रकबा 1.94 है0 भूमि पर भगवान लाल पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी मोठपुर का कब्जा काश्त है। मद सं0 5 मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार्य है। मद संख्या 6 में वर्णित कानूनी है। मद संख्या 7 में अंकित कथन के जवाब में मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मोठपुर के आराजी ख0नं0 705 रकबा 2.23 है0 भूमि में नामा0 संख्या 2183 दिनांक 21.06.2021 हकत्याग स्वीकृत है। मद संख्या 8 में अंकित कथन के जवाब में मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी क्रम 2, 3, 4 पर ख0न0 705 रकबा 2.23 है0 भूमि बीआरकेजीबी शाखा कवाई का रहन दर्ज है। एवं वादी बालमुकुन्द पुत्र रामकल्ण जाति धाकड का ग्राम मोठपुर के आराजी ख0नं0 706 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 707 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 708 रकबा 1.62 कुल किता 3 रकबा 1.94 है0 भूमि पर बैंक आफ बडोदा शाखा अटरू का रहन दर्ज है। मद संख्या 9 में वर्णित कथन कानूनी है। मद संख्या 10 में वर्णित कथन कानूनी है। मद संख्या 11 में वर्णित कथन कानूनी है। मद संख्या 12 में वर्णित कथन कानूनी है। मद संख्या 13 में वर्णित कथन कानूनी है। मद संख्या 14 में वर्णित कथन कानूनी है।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw1 बालमुकुन्द पुत्र रामकल्याण जाति धाकड निवासी मोठपुर का शपथ पत्र किया तथा सशपथ बयान लेखबद्ध किये गये। बालमुकुन्द ने अपने शपथ पत्र मे बताया कि प्रतिवादीगण का ख0नं0 705 रकबा 2.23 है0 में से 1.92 है0 आराजी पर मेरा कब्जा काश्त है तथा मेरे खाते की आराजी ख0नं0 706 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 707 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 708 रकबा 1.62 है0 किता 3 रकबा 1.94 है0 व 705 रकबा 2.23 है में से शेष आराजी 0.31 है0 प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है। लेकिन सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा गफलत एवं लापरवाही पूर्वक तरिके से राजस्व नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर मेरे कब्जे काश्त की आराजी को प्रतिवादीगण के खाते दर्ज कर दिया। जिसका इन्द्राज दुरूस्त करवाने का मैं कानूनी रूप से अधिकारी है।

साक्ष्यवादी के तहत pw2 रामकिशन पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी मोठपुर, pw3 हेमराज पुत्र दुर्गालाल जाति धाकड निवासी मोठपुर का शपथ पत्र किया साक्ष्य गवाहो ने अपने शपथ पत्र मे बताया कि मैं बालमुकुन्द को जानता हूॅ। बालमुकुन्द व मेरा खेत पास पास है। मैने बालमुकन्द के खेम को देख रखा है। वाके ग्राम एवं माल मोठपुर की पुराना खाता संख्या 39 के ख0न0 1511 सिंगाडा का रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा आराजी कल्याणसिंह, नाथूसिंह, भवानीसिंह पुत्र धूपसिंह जाति राजपूत निवासी मोठपुर के कब्जा काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही थी। उक्त आराजी में से दिनांक 20.05.1971 को पूरब दिशा की 12 बीघा आराजी वादी को जर्ये रजिस्टर्ड बेचान कर दी थी। जिसके बाद इन्तकाल नये ख0नं0 1511/1967 रकबा 12 बीघा बनाकर बालमुकुन्द के खाते दर्ज कर दिया था। विक्रय पत्र के अनुसार ही कब्जा बालमुकुन्द को 12 बीघा सम्भला दिय था तभी से बालमुकुन्द कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का ख0नं0 705 रकबा 2.23 है0 में से 1.92 है0 आराजी पर बालमुकुन्द कब्जा काश्त है तथा बालमुकुन्द के खाते की आराजी ख0नं0 706 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 707 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 708 रकबा 1.62 है0 किता 3 रकबा 1.94 है0 व 705 रकबा 2.23 है में से शेष आराजी 0.31 है0 प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है। लेकिन सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा गफलत एवं लापरवाही पूर्वक तरिके से राजस्व नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर बालमुकुन्द के कब्जे काश्त की आराजी को प्रतिवादीगण के खाते दर्ज कर दिया। जिसका इन्द्राज दुरूस्त करवाने का मैं कानूनी रूप से अधिकारी है।

4. अभिभाषक वादी की बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान तर्क किया गया कि ग्राम मोठपुर की आराजी ख0नं0 1511 रकबा 25 बीघा 15 बिस्व भूमि कल्याण सिंह, नाथूसिंह, भवानीसिंह पुत्रान धूपसिंह के खाते दर्ज थी। उक्त 25 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से खातेदारों द्वारा जरिये रजि0 विक्रय पत्र 12 बीघा भूमि वादी बालमुकुन्द व उनके भाई सूरजमल को बेचान की थी जिसका नामान्तरण संख्या 473 दिनांक 27.10.1971 तस्दीक किया गया। रजि0 बेचान नामें के अनुसार सभी खातेदारों ने संयुक्त रूप से ख0नं0 1511 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा में से पूर्व दिशा की 12 बीघा भूमि वादी व वादी के भाई को विक्रय की थी । तभी से वादी पूर्व दिशा की उक्त 12 बीधा भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त चले आ रहा है। वादी द्वारा उक्त पूर्व दिशा वाली भूमि पर विगत वर्षों से कई बार भूमि सुधार करवाया है, मेडबन्दी करवाई है और भूमि की सिंचाई हेतु एक ट्यूबवेल भी लगवा रखी है। शेष 13 बीघा 15 बिस्वा पश्चिम दिशा की भूमि का बेचान खातेदारों द्वारा बाद में गोरीलाल पुत्र रामलाल व गोपाल पुत्र रतनलाल को बेचान कर दी गई थी। तभी से पहले गोपाल व गौरी लाल एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके वारीसान प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 पश्चिम दिशा की 13 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादीगण ने अपनी पश्चिम दिशा की कब्जे काश्त की भूमि पर पत्थर का कोट करवा रखा है। सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के गफलत एवं लापरवाही पूर्वक नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर नक्शे में वादी को पश्चिम दिशा में जबकि प्रतिवादी को पूर्व दिशा में अंकित कर दिया जो कि विधि विरूद्ध होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक वादी ने आगे तर्क किया कि भू धारक राज सरकार प्रतिवादी क्रम 7 द्वारा भी अपने जवाब दावे में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मौके पर वादी आज भी विक्रय पत्र अनुसार पूर्व दिशा की 12 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है जबकि प्रतिवादीगण पश्चिम दिशा की 13 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त है। ग्राम मोठपुर का सेटलमेन्ट से पूर्व का नक्शा उपलब्ध नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि नक्शे लट्ठे में तरमीम सेटलमेन्ट के दौरान गलत हुई है या सेटलमेन्ट से पूर्व। प्रतिवादी क्रम 7 तहसीलदार द्वारा भी बहस के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ग्राम मोठपुर का सेटलमेन्ट से पूर्व का नक्शा उपलब्ध नहीं है। अतः नक्शे में दुरूस्ती कर रजिस्टर्डड विक्रय पत्र व मौके के कब्जे काश्त अनुसार पूर्व दिशा की आराजी हाल ख0नं0 705 रकबा 2.23 है0 में से 1.92 है0 भूमि को वादी के

खाते दर्ज किया जावे और पश्चिम दिशा की आराजी हाल ख0नं0 707, 708, व 705 के शेष रकबे को प्रतिवादीगण के खाते दर्ज किया जावे।

5. अभिभाषक वादी की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम मोठपुर की जमाबन्दी संवत 2028—31 (**प्रदर्श—1ए)** के अनुसार साबिक ख0नं0 1511 रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा आराजी कल्याणसिंह, नाथूसिंह, भवानीसिंह पुत्रान धूलसिंह के खाते दर्ज थी। उक्त खातेदारों द्वारा सयुक्त रूप से 25 बीघा 15 बिस्वा में से पूर्व दिशा की 12 बीघा भूमि जरिऐ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.05.1971 द्वारा वादी बालमुकुन्द एवं इनके भाई सूरजमल को बैचान की गई। इस संबंध में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.05.1971 (**प्रदर्श—2ए**) का अवलोकन किया गया। विक्रयपत्र के पेज संख्या 1 एवं 2 पर स्पष्ट रूप से पूर्व दिशा की भूमि के बेचान का उल्लेख है। उक्त भूमि का ग्राम पंचायत मोठपुर द्वारा नामा0 संख्या 473 दिनांक 27.10. 1972 तस्दीक किया गया और बालमुकुन्द व सूरजमल पुत्रान कल्याण धाकड के नाम खाते दर्ज हुई (**प्रदर्श—11ए**) पूर्व दिशा की उक्त क्रयशुदा 12 बीघा भूमि का पृथक ख0नं0 1511/1962 कर राजस्व नक्शे में तरमीम की गई (**प्रदर्श—3ए**) कुल 25 बीघा 15 बिस्वा आराजी में से शेष बची पश्चिम दिशा की 13 बीघा 15 बिस्वा भूमि मूल खातेदार कल्याण सिंह, नाथूसिं, भवानसिंह पुत्रान धूलसिंह के ही खाते रही जिसे बाद में जरिऐ रजिस्ट्री गोरीलाल पुत्र श्यामलाल एवं गोपाल पुत्र रतनलाल धाकड को बैचान कर दी गई और पश्चिम दिशा का कब्जा सौप दिया गया। इसके कुछ वर्ष बाद सेटलमेन्ट विभाग का मैप बुक व फील्ड ऑपरेशन का कार्य शुरू हो गया था। भू—प्रबंध विभाग (पश्चिम दिशा) के ग्राम मोठपुर के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख0नं0 1511 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा का नवीन ख0नं0 705 रकबा 2.23 है0 बनाकर गोपाल व गोरीलाल के खाते तथा ख0नं0 1511/1962 रकबा 12 बीघा (पूर्व दिशा) का नवीन, ख0नं0 706 रकबा 0.01, ख0नं0 707 रकबा 0.31 है0 व 708 रकबा 1.62 है0 अर्थात कुल किता 2 कुल रकबा 1.94 है0 बना कर बालमुकुन्द व सूरजमल पुत्रान कल्याण के खाते दर्ज कर दिया गया। (**प्रदर्श—5 एवं 6)** इस संबंध में हाल ख0नं0 705, 706, 707 व 708 के नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया (**प्रदर्श—8**)। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी जिसने पूर्व दिशा की भूमि क्रय की थी— उसे पश्चिम दिशा में बैठा दिया है जबकि प्रतिवादीगण के पिता गोपाल व गोरीलाल जिन्होने पश्चिम दिशा की 13 बीघा 15 बिस्वा क्रय की थी— को पूर्व दिशा में बैठा दिया गया। चूंकि प्रतिवादी क्रम 7 तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वर्तमान में ग्राम मोठपुर

का सेटलमेन्ट से पूर्व का नक्शा उपलब्ध नहीं है। अतः नक्शे में यह गलती प्रथम दृष्टया सेटलमेन्ट से पूर्व राजस्व नक्शे में क्रय की गई उक्त भूमि की तरमीम करते समय हुई है।

विवादित आराजी की मौके की स्थिति/वास्तविक स्थिति को समझने के लिऐ प्रतिवादी क्रम 8 तहसीलदार के जवाब दावे का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपने जबाव दावे दिनांक 05.08.2021 से स्पष्ट है कि वादी वर्तमान में मौके पर रजिस्ट्री दिनांक 20.05.1971 के अनुसार पूर्व दिशा में ख0न0ं 705 पर कब्जा काश्त है जबकि पश्चिम दिशा में अर्थात ख0नं0 706, 707 व 708 पर प्रति. क्रम 1 भगवान पुत्र गोपाल धाकड कब्जे काश्त है। जवाब दावे में अंकित नक्शे लठ्ठे के अनुसार नजरी नक्शे तथा मौके पर कब्जे काश्त अनुसार नजरी नक्शे का उल्लेख भी वादी के क्लेम के समर्थन में महत्वपूर्ण साक्ष्य है।

वादी के क्लेम के समर्थन में पेश शपथ पत्र pw1, pw2, pw3 का भी अवलोकन किया गया। मौखिक साक्ष्य के रूप में pw2, pw3 द्वारा सशपथ बयानों से जाहिर होता है कि वादी का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.05.1971 के अनुसार आज भी मौके पर पूर्व दिशा में अर्थात नवीन ख0नं0 705 के रकबे 2.23 है0 में से 1.92 है0 पर कब्जे काश्त चला आ रहा है। वादी ने इसी पूर्वी आराजी पर भूमि विकास कार्य कराऐ, मेडबंदी बनाई और एक ट्यूबवैल करा रखा है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर जाहिर है कि राजस्व विभाग के कार्मिको या सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों द्वारा वादी बालमुकुन्द एवं उनके भाई सुरजमल तथा गोपाल पुत्र रतनलाल एवं गोरीलाल पुत्र श्यामलाल को रजि0 विक्रय पत्रों में उल्लेखित दिशा व कब्जे के अनुसार नक्शे में तरमीम न करके उल्टी दिशाओं में तरमीम कर दी जो कि दुरूस्त किये जाने और तदानुसार खातेदार कृषक घोषित किये जाने योग्य है। अतः वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

**–::क्रियात्मक आदेश::–**

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मोठपुर के ख0नं0 705 रकबा 2.23 है0 में से पूर्व दिशा की 1.92 है0 भूमि पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम मोठपुर के ख0नं0 705 के रकबा 2.23 है0 में से शेष पश्चिम दिशा की 0.31 है0 भूमि, ख0नं0 706

रकबा 0.01 है0, ख0नं0 706 रकबा 0.31 है0 एवं ख0नं0 708 रकबा 1.62 है0 भूमि पर प्रतिवादीगण 1 ता 4 को वर्तमान में दर्ज इनके हिस्से अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती एवं नक्शे में तरमीम करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(दिनेश कुमार मीणा)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**
**(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)**
**<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>**
**बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)**

**प्रकरण सं0 92/2021**

**उनवान**

1. बाल मुकुन्द आयु 80 वर्ष पुत्र रामकल्याण जाति धाकड निवसी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. भगवानलाल आयु 50 वर्ष पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी मोठपुर
2. भवानीशंकर आयु 75 वर्ष पुत्र गोरीलाल जाति धाकड निवासी मोठपुर
3. शिवदयाल आयु 75 वर्ष पुत्र गोरीलाल जाति धाकड निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. रूकमणीबाई आयु 60 वर्ष पुत्री गोरीलाल पत्नि गोरधनलाल जाति धाकड निवासी मोठपुर हाल कोहनी तहसील छीपाबडोद जिला बारां राज0।
8. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडोदा शाखा अटरू
9. शाख प्रबंधक बडोदा क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई तहसील अटरू जिला बारां राज0।
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

**<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर0टी0एक्ट0</u>**
**<u>एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0</u>**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ............X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक यशधुमन सिंह
मिनजानित मुदई रूबरू ..........................................................................X................................................
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम मोठपुर के ख0नं0 705 रकबा 2.23 है0 में से पूर्व दिशा की 1.92 है0 भूमि पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम मोठपुर के ख0नं0 705 के रकबा 2.23 है0 में से शेष पश्चिम दिशा की 0.31 है0 भूमि, ख0नं0 706 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 706 रकबा 0.31 है0 एवं ख0नं0 708 रकबा 1.62 है0 भूमि पर प्रतिवादीगण 1 ता 4 को वर्तमान में दर्ज इनके हिस्से अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती एवं नक्शे में तरमीम करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ..................X...................... मुबालिक ................X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X..................... ..................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ...............X........................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23/06/2022 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

| मुदई | | मुदालयह | |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | स्टाम्प अर्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | स्टाम्प अर्जी | बाबत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बाबत् इजराय हुकमनाम | महन्ताना वकील | मुत0 |
| महन्ताना वकील | मुत0 | खर्चा गवाहान | |
| मिजान | | मिजान | |

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)